

Annexure-2

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD.

DETAILS OF EQUITY OF GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Sl. No.	G.O. NO. & DATE	UNDER ADB	UNDER REC-III	UNDER REC-IV	UNDER REC-V	UNDER REC-X (5762)	UNDER REC-XI (5787)	UNDER PPC 09303002	UNDER PFC 09303010	REC 8072	REC 3011	REC 4365	REC 5531	REC 5533	REC 5534	REC 6410	REC VI (5763)	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	
FINANCIAL YEAR 2014-15																			
1	2024/(2)/2014-07/1308/2009 dated 28/08/2014			6,00,00,000.00	1,36,87,000.00	8,35,000.00	25,87,000.00	11,20,79,000.00		1,36,50,000.00	80,64,000.00	85,65,000.00	1,55,91,000.00	1,29,66,000.00	96,40,000.00	2,98,50,000.00			28,72,64,000.00
2	2590/(2)/2014-07/03/2012 dated 10/10/2014	52,77,00,000.00																	52,77,00,000.00
3	2696/(2)/2014-07/11/08/2009 dated 03/01/2015		10,54,65,000.00		1,41,36,000.00	26,57,000.00			78,51,000.00									64,07,000.00	13,65,36,000.00
TOTAL		52,77,00,000.00	19,33,68,000.00	9,13,35,000.00	3,37,22,000.00	58,79,000.00	11,44,16,000.00	13,35,30,000.00	2,95,65,000.00	3,02,79,000.00	3,22,20,000.00	3,71,22,000.00	3,81,97,000.00	5,24,56,000.00	4,58,97,000.00	98,77,57,000.00		95,79,07,000.00	95,15,00,000.00
FINANCIAL YEAR 2015-16 (08/11/2015)																			
1	599/(2)/2015-07/11/08/2009 dated 20/04/2015		4,72,64,000.00																4,72,64,000.00
2	693/(2)/2015-7/3/2015 dated 19/05/2015	15,83,00,000.00																	15,83,00,000.00
TOTAL		15,83,00,000.00	4,72,64,000.00															20,55,64,000.00	20,55,64,000.00
GRAND TOTAL		68,60,00,000.00	24,05,72,000.00	9,13,35,000.00	3,37,22,000.00	58,79,000.00	11,44,16,000.00	13,35,30,000.00	2,95,65,000.00	3,02,79,000.00	3,22,20,000.00	3,71,22,000.00	3,81,97,000.00	5,24,56,000.00	4,58,97,000.00	1,19,35,21,000.00	1,16,34,71,000.00		1,15,70,64,000.00

[Signature]
(Accd.)

[Signature]
SAO

[Signature]
DGM(CF)

[Signature]
DGM(CF)

[Signature]
SHRAWAN KUMAR SHARMA
DIRECTOR (PROJECTS)
POWER TRANSMISSION CORPORATION
OF UTTARAKHAND LTD., DEHRADUN

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

विषय:-

आर०ई०सी० से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति।


महादय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 28/D(F)/PTCUL/Gen दिनांक 09.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर०ई०सी० एवं पी०एफ०सी० पोषित विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष राज्य सरकार की अंशपूजी निवेश के रूप में ₹० 2872.64 लाख (₹० अठारह करोड बहत्तर लाख चौंसठ हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु संलग्न-2 विवरणानुसार आपके निवेदन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किरतों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लागाई जायेगी उन योजनाओं की सक्षम स्तर से अनुमोदित लागत के सापेक्ष यथा, अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।
- 2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे दिनांक 31.03.2015 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- 4- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालन सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक निगम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 7- योजनाओं में अंशपूजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। अंशपूजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।

- 8- परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक '1' में उल्लिखित संगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 179 /XXVII(2)/2014, दिनांक 22, अगस्त 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।


सचिव,

(डा० उमाकान्त पुरी)
सचिव।

संख्या: II(2)/2014-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओवरसय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।



शासनादेश संख्या: 2024/1(2)/2014-07(1)/08/2009, दिनांक 28 अगस्त, 2014 का संलग्नक '1'

विषय:- आर0ई0सी0 से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने के सम्बन्ध में।

क0 रां0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	(धनराशि लाख रुपये में) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-06-पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	2269.39
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-03-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	517.07
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-02-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	86.18
योग :-			2872.64

कुल (रु0 अठाईस करोड बहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या: २०२५ /1(2)/2014-07(1)/119/2009 दिनांक 28 अगस्त, 2014 का संलग्नक

आर०ई०सी० व पी०एफ०सी० से वित्त पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति हेतु कार्य का विवरण।

क्रमांक	आर०ई०सी० व पी०एफ०सी० की योजना	(धनराशि लाख रू० में) अंशपूजी के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	बाढ/मानसुन प्रभावित गढवाल क्षेत्र के उपस्थान तथा पारेषण लाईन का सुदृढीकरण	136.50
2	400 के०वी० ऋषिकेश - पुहाना (रूडकी) लाईन की पुनःस्थापना	80.64
3	220 के०वी० उपस्थान रूडकी की क्षमता वृद्धि	85.65
4	220 के०वी० ऋषिकेश - धरासु व चम्बा - धरासु पारेषण लाईन का मार्ग परिवर्तन कार्य	155.91
5	220 के०वी० अनुरक्षण व परिचालन डिवीजन रूडकी के उपस्थानों व लाईनों का पूजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकिकरण (Capital R&M) कार्य	129.67
6	अनुरक्षण व परिचालन डिवीजन चम्बा/श्रीनगर के उपस्थानों व लाईनों का पूजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकिकरण (Capital R&M) कार्य	96.40
7	400 के०वी० उपस्थान ऋषिकेश की क्षमता वृद्धि	298.50
8	पी०एफ०सी० द्वारा स्वीकृत विभिन्न उपस्थानों व लाईनों के पूजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकिकरण (Capital R&M) कार्य	1,120.29
9	आर०ई०सी० पंचम योजना (220 के०वी० उपस्थान महुआखेड़ागंज तथा उपस्थानों से सम्बन्धित लाईने)	136.87
10	आर०ई०सी० दशम योजना (220 के०वी० बरहेनी-पन्तनगर लाईन तथा 220 के०वी० उपस्थान पन्तनगर पर 01 न० बे का निर्माण)	8.35
11	आर०ई०सी० ग्यारह (मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य)	23.87
12	आर०ई०सी० चतुर्थ योजना (220 के०वी० देहरादून, 132 के०वी० उपस्थान हरिद्वार रोड़ देहरादून तथा उपस्थानों से सम्बन्धित लाईने)	600.00
	योग	2872.64

कुल ₹ 2872.64लाख (₹ अठाईस करोड़ बहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

Su

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Power (Grants) (9004)

आवंटन पत्र संख्या - 2024/1(2)/2014-07(1)/08/2009

अनुदान संख्या - 021

अलोटमेंट आई डी - H1408212367

आवंटन पत्र दिनांक - 28-Aug-2014

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 1: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
90 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 06 - पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश
00 - पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश

मानक मद का नाम	Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/व्यय	0	226939000	226939000
	0	226939000	226939000

आवंटन पत्र संख्या - 2024/1(2)/2014-07(1)/08/2009

अनुदान संख्या - 030

अलोटमेंट आई डी - H1408302362

आवंटन पत्र दिनांक - 28-Aug-2014

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 2: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 03 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी
00 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी

मानक मद का नाम	Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/व्यय	0	51707000	51707000
	0	51707000	51707000

आवंटन पत्र संख्या - 2024/1(2)/2014-07(1)/08/2009

अनुदान संख्या - 031

अलोटमेंट आई डी - H1408312363

आवंटन पत्र दिनांक - 28-Aug-2014

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 3: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
796 - जनजाति क्षेत्र उप योजना 02 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी
00 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी

मानक मद का नाम	Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/व्यय	0	8618000	8618000
	0	8618000	8618000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

287264000

52

64

विद्युत के अन्तर्गत एमार्गित विभिन्न आर०ई०सी० व पी०एफ०सी० पोषित योजनाओं के ऋण के सापेक्ष शासन मांग किये जाने वाले शासनांश का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का कोड	योजना लागत	योजना लागत के सापेक्ष ऋण	योजना लागत के सापेक्ष शासनांश	व्यय माह मार्च, 2014 तक	व्यय के सापेक्ष ऋण	आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण	व्यय के सापेक्ष शासनांश	शासन से प्राप्त किया गया शासनांश	शासन से वर्तमान में मांगे जाने वाला शासनांश	टिप्पणी
	बाढ / मानसून प्रभावित राज्याल शोध की कार्रवाई तथा पारिषद लाइन्स का पुनःनिर्माण	UA-TD-TRM-118-5077	606.71	424.70	182.01	455.01	318.51	318.51	136.50	-	136.50	
2	400 के०वी० आर०ई०सी० योजना (फरसारी) लाइन्स की पुनःस्थापना	UA-TD-TRM-118-5011	358.38	250.87	107.51	268.79	188.15	188.15	80.64	-	80.64	
3	220 के०वी० उपस्थान फरसारी की क्षमता वृद्धि	UA-TD-TRM-2010-4365	1,141.50	1,027.35	114.15	856.50	770.85	770.85	85.65	-	85.65	
4	220 के०वी० आर०ई०सी० - धरासु य चम्बा - धरासु पारिषद लाइन्स का मार्ग परिवर्तन कार्य	UA-TD-TRM-118-5531	577.50	404.25	173.25	519.70	363.79	363.79	155.91	-	155.91	
5	220 के०वी० अनुसूचित व परिचालन डिजीजन रुडकी के उपस्थानों व लाइन्स का पूंजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकिकरण (Capital R&M) कार्य	UA-TD-TRM-118-2011-5533	864.70	605.29	259.41	432.24	302.57	302.57	129.67	-	129.67	संलग्न आर०ई०सी० द्वारा स्वीकृत की गयी योजना का स्वीकृती पत्र
6	अनुसूचित व परिचालन डिजीजन चम्बा / श्रीनगर के उपस्थानों व लाइन्स का पूंजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकिकरण (Capital R&M) कार्य	UA-TD-TRM-118-2011-5534	639.31	447.52	191.79	321.34	224.94	224.94	96.40	-	96.40	
7	400 के०वी० उपस्थान ऋषिकेश की क्षमता वृद्धि	UA-TD-TRM-118-2012-6410	1,257.94	880.56	377.38	994.99	696.49	696.49	298.50	-	298.50	
8	पी०एफ०सी० द्वारा स्वीकृत विभिन्न उपस्थानों व लाइन्स के पूंजीगत नवीनीकरण तथा आधुनिकिकरण (Capital R&M) कार्य	09303002	3,735.00	2,614.50	1,120.50	3,734.29	2,614.00	2,614.00	1,120.29	-	1,120.29	
9	आर०ई०सी० पंचम योजना (220 के०वी० उपस्थान महुआखेड़ागाँव तथा उपस्थानों से सम्बन्धित लाइन्स)	UA-TD-DIS-118-2009-3637	13,793.92	9,655.74	4,138.18	9,489.56	6,642.69	6,479.33	2,846.87	2,710.00	136.87	
10	आर०ई०सी० दशम योजना (220 के०वी० बरहेनी-पत्तनगर लाइन्स तथा 220 के०वी० उपस्थान पत्तनगर पर 01 न० बे का निर्माण)	UA-TD-TRM-118-2012-6386	873.98	611.79	262.19	346.47	242.53	181.72	103.94	95.00	8.35	
11	आर०ई०सी० ग्यारह (मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य)	UA-TD-TRM-118-2012-5787	1,756.22	1,229.35	526.87	1,815.10	1,270.57	1,213.53	544.53	503.00	23.87	योजना लागत के सापेक्ष शासनांश की सीमा तक देय शासनांश की मांग
12	आर०ई०सी० चतुर्थ योजना (220 के०वी० देहरादून, 132 के०वी० उपस्थान हरिद्वार रोड देहरादून तथा उपस्थानों से सम्बन्धित लाइन्स)	C-10009	16,630.78	11,641.55	4,989.23	11,413.36	7,989.35	7,450.59	3,424.01	3,424.00	600.00	माह अप्रैल, 2014 से माह जून, 2014 तक होने वाले व्यय के सापेक्ष मांगे जाने वाला शासनांश
	योग		42,235.94	29,793.46	12,442.48	30,647.35	21,624.44	20,804.47	9,022.90	6,732.04		

65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.732.04
 SHRI ANIL KUMAR SHARMA
 DIRECTOR (PROJECTS)
 POWER TRANSMISSION CORPORATION
 DEPT. OF POWER, GOVT. OF U.P.

(M) Mulla
Sd/-
(59)

आयोजनागत

संख्या: 2590 /1(2)/2014-07/03/2012

प्रेषक,

डॉ० उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

DM/IT
for immediate action as
discussed with Seay (Eggs)
18/7/14

सूजा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2014

विषय:-

ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजना हेतु अंशपूजा के रूप में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 802/प्र०नि०/पिटकुल/जी-1 दिनांक 03.07.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०डी०बी० पी०एफ०आर०-04 परियोजनार्तगत 400 के०वी० ओनगर- काशीपुर लाईन के निर्माण हेतु ₹ 52.77 करोड़ (₹ बावन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अंशपूजा के रूप में व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- ए०डी०बी० से प्राप्त होने वाली प्रथम किश्त से उक्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर संक्षेप स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- 5- उक्त धनराशि का दिनांक 30.03.2015 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 7- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 8- ए०डी०बी० से ऋण की किश्तों का आहरण निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का कियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा।

.....2

Sr

66

शासनादेश संख्या 2596 /I(2)/2014-07-03/2012, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 का संलग्नक 'क'

विषय :- ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

(धनराशि लाख रुपये में)

क0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण- 190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-97-वाहय सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	4169.00
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण- 190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-97-वाहय सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	950.00
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण- 190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-97-वाहय सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	158.00
योग :-			5277.00

कुल ₹ 5277.00 करोड़ (₹ बावन करोड़ सतहत्तर लाख मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Power (Grants) (9004)

आवंटन पत्र संख्या - 2590/(2)/2014-07-03/2012

अलोटमेंट आई डी - H1410210242

अनुदान संख्या - 021

आवंटन पत्र दिनांक - 10-Oct-2014

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 1: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 - बाह्य सहायतित योजना
01 - पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश

मानक मद का नाम	Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/व्यय	0	416900000	416900000
	0	416900000	416900000

आवंटन पत्र संख्या - 2590/(2)/2014-07-03/2012

अलोटमेंट आई डी - H1410300248

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक - 10-Oct-2014

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 1: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 - बाह्य सहायतित योजना
01 - ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश

मानक मद का नाम	Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/व्यय	0	95000000	95000000
	0	95000000	95000000

आवंटन पत्र संख्या - 2590/(2)/2014-07-03/2012

अलोटमेंट आई डी - H1410310249

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक - 10-Oct-2014

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 1: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 - बाह्य सहायतित
01 - ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु पिटकुल में निवेश

मानक मद का नाम	Plan Voted		
	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/व्यय	0	15800000	15800000
	0	15800000	15800000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

527700000

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

EM/F (IC)
8/1

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 03 जून 2015

विषय:- आर०ई०सी० एवं पी०एफ०सी० पोषित योजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1265/प्र०नि०/पिटकुल/G-1 दिनांक 10.10.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर०ई०सी० एवं पी०एफ०सी० से प्राप्त होने वाले ऋण की प्रत्याशा में राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में रू० 1365.36 लाख (रू० तेरह करोड़ पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०स०	आर०ई०सी० एवं पी०एफ०सी० की योजना	अंशपूजी के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	आर०ई०सी०-प्रथम एवं तृतीय	1054.65
2	आर०ई०सी०- पंचम	141.56
3	आर०ई०सी०- दशम	26.57
4	आर०ई०सी०- षष्ठम् (5163)	64.07
5	पी०एफ०सी० द्वितीय (09803010)	78.51
	योग	1365.36

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण, बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जाएगा तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में ही किया जायेगा। धनराशि आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन पारेषण योजनाओं के लिये स्वयं के अंश के रूप में अंशपूजी लगाई जायेगी उन योजनाओं की सक्षम स्तर से अनुमोदित लागत के सापेक्ष यथा, अनुमोदित अंशपूजी की सीमा से अधिक निवेश नहीं किया जायेगा तथा यदि उक्त आधार पर कम धनराशि आवश्यक हो तो शेष राशि (पूर्व में अवमुक्त धनराशि सहित) को अप्रयुक्त रखने के बजाय समर्पित किया जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष यदि कोई धनराशि किसी भी कारण से गचती है तो उसे दिनांक 31.03.2015 से पूर्व शासन को समर्पित किया जायेगा।


3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

Sum

- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालन सुनिश्चित की जायेगी।
- 6- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुरितका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 7- योजनाओं में अंशपूजी की धनराशि किसी भी स्थिति में निर्धारित मानकों से अधिक व्यय नहीं की जायेगी। अंशपूजी की धनराशि लम्बे समय तक अप्रयुक्त न रहे।
- 8- परियोजनाओं को कुल स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- 9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक '1' में उल्लिखित संगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 494 /XXVII(2)/2014, दिनांक 27 दिसम्बर 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- यथोक्त।


भवदीय,

(डा० उमाकान्त पवार)
सचिव।

संख्या: I(2)/2014-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओवराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

5

शासनादेश संख्या 2696/1(2)/2014-07(1)/08/2009, दिनांक 03 ^{51 नवरी, 2015} दिसम्बर, 2014 का संलग्नक '1'

विषय:- आर0ई0सी0 एवं पी0एफ0सी0 पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने के सम्बन्ध में।

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-06-पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	730.61
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-03-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	482.93
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-02-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	151.82
योग :-			1365.36

कुल (रु0 तेरह करोड पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

Sm

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Power (Grants) (9004)

आवंटन पत्र संख्या - 2696/1(2)/2014-07(1)/08/2009

अलोटमेंट आई डी - H1501210210

अनुदान संख्या - 021

आवंटन पत्र दिनांक - 06-Jan-2015

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 1: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 06 - पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश
00 - पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/ऋण	226939000	73061000	300000000
	226939000	73061000	300000000

आवंटन पत्र संख्या - 2696/1(2)/2014-07(1)/08/2009

अलोटमेंट आई डी - H1501300211

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक - 06-Jan-2015

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

- 2: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 03 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी
00 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/ऋण	51707000	48293000	100000000
	51707000	48293000	100000000

आवंटन पत्र संख्या - 2696/1(2)/2014-07(1)/08/2009

अलोटमेंट आई डी - H1501310212

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक - 06-Jan-2015

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)


- 3: लेखा शीर्षक 4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - पारेषण एवं वितरण
796 - जनजाति क्षेत्र उप योजना 02 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी
00 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूंजी

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
30 - निवेश/ऋण	8618000	15182000	23800000
	8618000	15182000	23800000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

136536000



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट लेखा स्कन्ध,
विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-3245031 email:- manoj.kumar.ptcul@gmail.com

पत्रांक 14 / म०प्रा०(वि०) / पिटकुल /

दिनांक 07/01/2015

कार्यालय आदेश

सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 2696 / 1(2) / 2014-07(1) / 08 / 2009 दिनांक 3 जनवरी, 2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आर०ई०सी० एवम् पी०एफ०सी० पोषित परियोजना हेतु सरकार की अंशपूजी की स्वीकृत धनराशि रू० 13,65,36,000.00 (रू० तेरह करोड पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय - व्ययक मद में व्यय किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
21	4301 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -06- पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश -30- निवेश/ऋण	7,30,61,000.00
30	4301 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -03- पिटकुल व। आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूजी -30- निवेश/ऋण	4,82,93,000.00
31	4301 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -796- जनजाति क्षेत्र उप योजना -02- पिटकुल को आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूजी -30- निवेश/ऋण	1,15,82,000.00 15122000/2
योग		13,65,36,000.00


अतः एतद् द्वारा रू० 13,65,36,000.00 (रू० तेरह करोड पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)का देयक प्रथम एवम् अन्तिम किश्त के रूप में मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(एस० एस० यादव)

प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उप मुख्य सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट लेखा स्कन्ध,

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-3245031 email:- manoj.kumar.ptcul@gmail.com

पत्रांक 18 / म०प्र०(वि०) / पिटकुल /

दिनांक 07/01/2015

कार्यालय आदेश

सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 2696 / 1(2) / 2014-07(1) / 08 / 2009 दिनांक 3 जनवरी, 2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आर०ई०सी० एवम् पी०एफ०सी० पोषित परियोजना हेतु सरकार की अंशपूजी की स्वीकृत धनराशि रू० 13,65,36,000.00 (रू० तेरह करोड पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय - व्ययक मद में व्यय किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
21	4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -06- पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश -30- निवेश/ऋण	7,30,61,000.00
30	4301 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -03- पिटकुल को आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूजी -30- निवेश/ऋण	4,82,93,000.00
31	4301 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -796- जनजाति क्षेत्र उप योजना -02- पिटकुल को आर०ई०सी० ऋण के सापेक्ष अंशपूजी -30- निवेश/ऋण	1,51,82,000.00
योग		13,65,36,000.00

अतः एतद द्वारा रू० 13,65,36,000.00 (रू० तेरह करोड पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र)का देयक प्रथम एवम् अन्तिम किश्त के रूप में मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(एस० एस० यादव)


प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

- उप मुख्य सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

18

75



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट लेखा स्कन्ध,

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रॉसिंग, सहारनपुर रोड, गाजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-3245031 email:- manoj.kumar.ptcul@gmail.com

पत्रांक 19 / ग०प्र०(वि०)/पिटकुल/

दिनांक 07/01/2015

जिलाधिकारी,
देहरादून

विषय : -- आर०ई०सी० एवम् पी०एफ०सी० पोषित परियोजना हेतु सरकार की अंशपूँजी के रूप में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2696/1(2)/2014-07(1)/08/2009 दिनांक 3 जनवरी, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० आर०ई०सी० एवम् पी०एफ०सी० पोषित परियोजना हेतु सरकार की अंशपूँजी हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या 1 में निहित प्राविधानानुसार बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त धनराशि रू० 13,65,36,000.00 (रू० तेरह करोड पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) का आहरण किया जायेगा।

अतः रू० 13,65,36,000.00 (रू० तेरह करोड पैंसठ लाख छत्तीस हजार मात्र) के तीन बीजक अनुदान संख्या 21 (रू० 730.61 लाख), 30 (रू० 482.93 लाख) एवम् 31 (रू० 151.82 लाख) के सापेक्ष आपके प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस० एस० यादव)

प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आर-व्ययक के अनुदान संख्या 21, 30 एवं 31 के अन्तर्गत संलग्नक '1' में उल्लिखित संगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
(डा० उमाकान्त पवार)
सचिव।

संख्या: 1(2)/2015-07(1)/08/2009, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओवराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,
(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

5/11

शासनादेश संख्या: 599 /1(2)/2015-07(1)/08/2009, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 का संलग्नक '1'

विषय:- आर0ई0सी0 एवं पी0एफ0सी0 पोषित परियोजना हेतु राज्य सरकार की अंशपूजी दिये जाने के सम्बन्ध में।

क0 सं0	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	(धनराशि लाख रुपये में) अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-06-पारेषण परियोजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	100.00
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश-03-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	100.00
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज--05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश 796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-02-पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के सापेक्ष अंशपूजी-30- निवेश/ऋण	272.64
योग :-			472.64

कुल (रु0 चार करोड बहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र)

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।

52

79

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Power (Grants) (9004)

आवंटन पत्र संख्या - 599/(1)/2015-07(1)/08/2009

अलोटमेंट आई डी - H1505210002

अनुदान संख्या - 021

आवंटन पत्र दिनांक - 01-May-2015

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

1. लेखा शीर्षक	4801 - विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	05 - पारिषण एवं वितरण
	190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश	06 - पारिषण परियोजनाओं हेतु निवेश
	00 - पारिषण परियोजनाओं हेतु निवेश	

मानक मर का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
30 - निवेश ऋण	0	10000000	10000000
	0	10000000	10000000

आवंटन पत्र संख्या - 599/(2)/2015-07(1)/08/2009

अलोटमेंट आई डी - H1505300003

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक - 01-May-2015

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

2. लेखा शीर्षक	4801 - विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	05 - पारिषण एवं वितरण
	190 - सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश	03 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के मापेक्ष अंशपूजी
	00 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के मापेक्ष अंशपूजी	

मानक मर का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
30 - निवेश ऋण	0	10000000	10000000
	0	10000000	10000000

आवंटन पत्र संख्या - 599/(2)/2015-07(1)/08/2009

अलोटमेंट आई डी - H1505310004

अनुदान संख्या - 031

आवंटन पत्र दिनांक - 01-May-2015

DDO Name - District Magistrate (For Grants)Dehradun (4183) , Treasury - Dehradun (0100)

3. लेखा शीर्षक	4801 - विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	05 - पारिषण एवं वितरण
	796 - जनजाति क्षेत्र उप योजना	02 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के मापेक्ष अंशपूजी
	00 - पिटकुल को आर0ई0सी0 ऋण के मापेक्ष अंशपूजी	

मानक मर का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Plan Voted
			योग
30 - निवेश ऋण	0	27264000	27264000
	0	27264000	27264000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes -

47264000

प्रेषक

डा० उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2,

देहरादून: दिनांक: 19 मई, 2015

विषय - ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजना हेतु ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 512/प्र०नि०/पिटकुल/जी-1 दिनांक 16.04.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०डी०बी० सहायतित 400 के०वी० श्रीनगर सब स्टेशन के निर्माण हेतु ए०डी०बी० से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 19.17 करोड़ (₹ उन्नीस करोड़ सत्ररह लाख मात्र) ऋण के रूप में तथा ₹ 15.83 करोड़ (₹ पन्द्रह करोड़ तैरासी लाख मात्र) राज्य सरकार की अंशपूजी के रूप में अर्थात् कुल ₹ 35.00 करोड़ (₹ पैत्तीस करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1-- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किशतों में बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेगा।
- 2-- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उक्त कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी स्थिति में इस धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय, साथ ही स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी कारण से बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित किया जायेगा।
- 3-- स्वीकृत की जा रही धनराशि से सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। तदोपरान्त ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- 4-- उक्त धनराशि का दिनांक 30.03.2016 तक व्यय करके उपभोग प्रमाण पत्र एवं भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 5-- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने तथा भुगतान करने हेतु सभी वित्तीय नियमों की परिपालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 6-- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 विषयक नियम एवं मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन करते हुये व्यय किया जायेगा।
- 7-- अवमुक्त की जा रही धनराशि के प्रतिपूर्ति दावे सक्षम स्तर के माध्यम से ए०डी०बी० को प्रस्तुत कर धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8-- ए०डी०बी० से ऋण की किशतों का आहरण निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समय से कर लिया जायेगा तथा योजनाओं का क्रियान्वयन भी निर्धारित समय में पूर्ण किया जायेगा अब तक राज्य सरकार से ऋण के रूप में आवंटित धनराशि के सापेक्ष ए०डी०बी०/भारत सरकार से प्रतिपूर्ति शीघ्र कराई जाए एवं प्राप्त प्रतिपूर्ति सहित लम्बित धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाय। साथ ही ऋण तथा राज्यांश की धनराशि अनुपातिक आधार पर ही आगे अवमुक्त कराई जाय।

.....2


52

81

-2-

- 9- योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि, अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि व वर्तमान में आवंटित की जा रही धनराशि योजना हेतु कुल रवीकृत लागत के अन्तर्गत ही रहेगी।
- 10- ऋण के रूप में दी जा रही धनराशि के मूलधन एवं ब्याज की वापसी ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुये निर्धारित समय सारिणी में किया जायेगा।
- 11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष संलग्न विवरण 'क' के अनुसार वहन किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

 (डा० उमाकान्त पुरी)
 सचिव।


संख्या: I(2)/2015-7/3/2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ओबाराय बिलिडिंग सहारनपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
- 2- महालेखाकार, (आडिट) इन्द्रानगर देहरादून।
- 3- जिलाधिकारी देहरादून।
- 4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, पी0एम0ओ0 (ए0डी0बी0)।
- 7- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।



आज्ञा से,

 (संजीव कुमार शर्मा)
 उप सचिव।

B2


विषय:- ए0डी0बी0 वित्त पोषित परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

क्र० सं०	अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि (धनराशि लाख रुपये में)
1	2	3	4
1	21	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97-वाहय सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	1250.57
2	30	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97-वाहय सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	284.94
3	31	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-पारेषण एवं वितरण-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-97-वाहय सहायतित योजना-9701-पिटकुल को ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश-30-निवेश/ऋण	47.49
	21	6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण -190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97- वाहय सहायतित योजना -01- पारेषण योजनाओं हेतु वाहय सहायता (ए0डी0बी0) -30- निवेश/ऋण	1514.43
2	30	6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण -190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97- वाहय सहायतित योजना -01- पारेषण योजनाओं हेतु वाहय सहायता (ए0डी0बी0) -30- निवेश/ऋण	345.06
3	31	6801- बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज -05- पारेषण एवं वितरण -796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना -97- वाहय सहायतित योजनाओं -01- पारेषण योजनाओं हेतु वाहय सहायतित ऋण -30- निवेश/ऋण	57.51
योग :-			3500.00

कुल ₹ 35.00 करोड़ (₹ पैंतीस करोड़ मात्र)

5

(संजीव कुमार शर्मा)
उप सचिव।



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट लेखा स्कन्ध,

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-3245031 email:- manoj.kumar.ptcul@gmail.com

पत्रांक 378 / म०प्र०(वि०) / पिटकुल / शासन

दिनांक 20/05/2015

जिलाधिकारी,
देहरादून

विषय : -- ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजना हेतु अंशपूँजी तथा ऋण के रूप में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 693/1(2)/2015-7/3/2012 दिनांक 19 मई, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजना हेतु सरकार की अंशपूँजी तथा ऋण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर संख्या 1 में निहित प्राविधानानुसार बिलों पर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त धनराशि रु० 35,00,00,000.00 (रु० पैंतीस करोड़ मात्र) का आहरण किया जायेगा।


अतः रु० 35,00,00,000.00 (रु० पैंतीस करोड़ मात्र) के छः बीजक अनुदान संख्या 21 (रु० 1250.57 लाख तथा रु० 1514.43 लाख), 30 (रु० 284.94 लाख तथा रु० 345.06 लाख) एवम् 31 (रु० 47.49 लाख तथा रु० 57.51 लाख) के सापेक्ष आपके प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस० एस० यादव)

प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबन्धक (वित्त), कारपोरेट लेखा स्कन्ध,

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, भाजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-3245031 email:- manoj.kumar.ptcul@gmail.com

पत्रांक 377 / ग०प्र०(वि०) / पिटकुल / 2015

दिनांक 20 / 05 / 2015

कार्यालय आदेश

उपसचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शारानादेश संख्या 693/1(2)/2015-7/03/2012 दिनांक 19 मई, 2015 (आयाप्राप्ति संलग्न) द्वारा ए०डी०बी० वित्त पोषित परियोजना हेतु सरकार की अंशपूजी तथा ऋण की स्वीकृत धनराशि रु० 35,00,00,000.00 (रु० पैंतीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिसे चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय - व्ययक मद में व्यय किया जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	अवशुक्त की जा रही धनराशि
21	4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97- वाह्य सहायतित योजना -01- पिटकुल को ए०डी०बी० वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश -30- निवेश/ऋण	12,50,57,000.00
30	4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97- वाह्य सहायतित योजना -01- पिटकुल को ए०डी०बी० वित्त पोषित योजनाओं हेतु निवेश -30- निवेश/ऋण	2,84,94,000.00
31	4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97- वाह्य सहायतित योजना -01- पिटकुल को ए०डी०बी० वित्त पोषित योजना हेतु निवेश -30- निवेश/ऋण	47,49,000.00
21	6801 - बिजली परियोजनाओं हेतु ऊर्जा -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97- वाह्य सहायतित योजना -01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायत (ए०डी०बी०) -30- निवेश/ऋण	15,14,43,000.00
30	6801 - बिजली परियोजनाओं हेतु ऊर्जा -05- पारेषण एवम् वितरण -190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -97- वाह्य सहायतित योजना -01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायत (ए०डी०बी०) -30- निवेश/ऋण	3,45,06,000.00
31	6801 - बिजली परियोजनाओं हेतु ऊर्जा -05- पारेषण एवम् वितरण -796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना -97- वाह्य सहायतित योजना -01- पारेषण योजनाओं हेतु वाह्य सहायत (ए०डी०बी०) -30- निवेश/ऋण	57,51,000.00
	योग	35,00,00,000.00

अतः एतद् द्वारा रु० 35,00,00,000.00 (रु० पैंतीस करोड़ मात्र) का देयक प्रथम एवम् अन्तिम किश्त के रूप में मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

(एस० एस० यादव)

प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सप मुख्य सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून